भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions

Tansukh Paliwal
LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws

Sample Preview

Linking Publication
Jodhpur, Rajasthan

Click Here to Buy Linking Publications

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, **"वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें"**. This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"**Paperathon**." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- **Tansukh Paliwal**

Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

INDEX		
Sr. No.	**Subjects**	**Page No.**
1.	**Range - Chapter wise**	**4**
2.	**Section Switching Table [IEA - -> BSA]**	**5**
3.	**Prelims MCQs**	**6-57**
4.	**Mains Questions**	**58-160**
5.	**Interview Questions**	**161-165**
6.	**Scan QR** for **Landmark Judgments** (Year wise & Subject wise)	**166**

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023		
CH.	**BSA Range Chapter wise**	***Sections***
	भाग - I	
I	प्रारंभिक	*1-2*
	भाग - II	
II	तथ्यों की सुसंगति के विषय में	*3-50*
	भाग - III - सबूत के विषय	
III	तथ्य, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है	*51-53*
IV	मौखिक साक्ष्य के विषय में	*54-55*
V	दस्तावेजी साक्ष्य	*56-93*
VI	दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में	*94-103*
	भाग - IV साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव	
VII	सबूत के भार के विषय में	*104-120*
VIII	विबन्ध	*121-123*
IX	साक्षियों के विषय में	*124-139*
X	साक्षियों की परीक्षा के विषय में	*140-168*
XI	साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में	*169*
XII	निरसन औरव्यावृत्ति ।	*170*
-	अनुसूची	-

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भाग - I

अध्याय- I. : प्रारंभिक

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रयुक्त 'न्यायालय' शब्द से तात्पर्य है-
(a) सभी न्यायाधीश
(b) सभी मजिस्ट्रेट
(c) मध्यस्थों के अतिरिक्त वे सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने हेतु वैध रूप से प्राधिकृत हैं
(d) उपरोक्त सभी

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा** - 6 दंड न्यायालय वर्ग **(**द.प्र.सं. 1973)**।** (**धारा** 6 BNSS)
2. **धारा**- 9,10,11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 (**द.प्र.सं**. 1973)**।**
3. मध्यस्थ व सुलह अधिनियम।

स्पष्टीकरण - धारा 3 - न्यायालय - सभी न्यायधीश, मजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के लिए वैध रुप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति समिल्लित है मध्यस्थ के सिवाय।

2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 लागू होता है:
(a) किसी न्यायालय में या उसके समक्ष समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में
(b) किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किये शपथ-पत्रों में
(c) किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों में
(d) उपरोक्त सभी में

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा** 23 (**धारा 21 BSA**) - आपराधिक कार्यवाही पर लागू नहीं।
2. **धारा** 105 (**धारा 108 BSA)**- सिविल कार्यवाही पर लागू नहीं।

स्पष्टीकरण- धारा 1 - साक्ष्य अधिनियम लागू होता है- सभी न्यायिक कार्यवहियो पर।
सिवाय - मध्यस्थ**,** शपथपत्र तथा सेना**,** नौसेना**,** वायुसेना अधिनियम पर।

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के सन्दर्भ में निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है?
(1) मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है।
(2) धातु पट्ट पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है।
(3) उपहासांकन दस्तावेज नहीं है।
(4) किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है।

Ans. (3)

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा 22** (धारा 20 **BSA) -** दस्तावेजो के संबंध में संस्वीकृति।
2. **धारा 61** (धारा 56 **BSA) -** दस्तावेजो की अंतर्वस्तु प्राथमिक व द्वितीयक साक्ष्यों द्वारा साबित।
3. **धारा 62** (धारा 57 **BSA) -** प्राथमिक साक्ष्य।
4. **धारा 63** (धारा 58 **BSA) -** द्वितीयक साक्ष्य।
5. **धारा 65** (धारा 60 **BSA) -** परिस्थिति जब द्वितीयक साक्ष्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा।
6. **धारा 74** (धारा 74 **BSA) -** लोक दस्तावेज।
7. **धारा 76** (धारा 75 **BSA) -** लोक दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति।
8. **धारा 77** (धारा 76 **BSA) -** प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में ग्राह्य।
9. **धारा 29** [धारा **2(8) BNS]** - दस्तावेज, भा.द.सं. 1860

स्पष्टीकरण - **धारा 3** - उपहासांकन दस्तावेज है।

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में जहां एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय ------------
(1) एक तथ्य के नासाबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और नासाबित होने के तथ्य पर साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा ।
(2) एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा ।
(3) एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा परन्तु उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा देगा
(4) एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को नासाबित मानेगा और साबित होने के तथ्य पर साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

Ans. [2]

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा 41 (धारा 35 BSA) –** प्रोबेट, आदि क्षेत्राधिकार में कुछ निर्णय की सुसंगतता।
2. **धारा 112 (धारा 116 BSA)** – विवाह के दौरान जन्म, धर्मजत्व का निश्चायक सबूत।
3. **धारा 113** – क्षेत्र के कब्जे का सबूत।
नोट:- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113 को BSA, 2023 द्वारा हटा दिया गया है।

स्पष्टीकरण:- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4 [धारा 2(b/h/l) BSA] उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत को परिभाषित करता है।

निश्चायक सबूत:-
- जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, तो न्यायालय एक तथ्य के साबित होने पर दूसरे तथ्य को साबित मानेगा और उसे गलत साबित करने के उद्देश्य से सबूत देने की अनुमति नहीं देगा।
- यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां कोई अधिनियम किसी सबूत को कुछ तथ्यात्मक स्थिति या विधिक परिकल्पना के निश्चायक सबूत के रूप में मानने का आदेश देता है, तो कोई अन्य सबूत उपरोक्त निष्कर्ष का खंडन करने या उसे अलग करने के लिए पेश नहीं किया जा सकता है।

6. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्न्तगत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रोनिक अभिलेख है-
(a) इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य
(b) दस्तावेजी साक्ष्य
(c) मौखिक साक्ष्य
(d) आधुनिक साक्ष्य

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान: -
1. **धारा 3** (धारा 2 BSA)– साक्ष्य की परिभाषा।
2. **धारा 61**(धारा **56 BSA) –** दस्तावेजी साक्ष्य - प्राथमिक साक्ष्य व द्वितीयक साक्ष्य।
3. **धारा 62** (धारा **57 BSA)–** प्राथमिक साक्ष्य ।
4. **धारा 63** (धारा **58 BSA)–** द्वितीयक साक्ष्य।
5. **धारा 60** (धारा **55 BSA)–** मौखिक साक्ष्य प्रत्येक अवस्था में प्रत्यक्ष होना चाहिए।
6. **धारा 91** (धारा **94 BSA)–** दस्तावेजी साक्ष्य दस्तावेज द्वारा ही साबित।

स्पष्टीकरण - धारा 3 - साक्ष्य - दस्तावेजी साक्ष्य - न्यायलय के निरीक्षण के लिए पेश किये गए दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य।
मौखिक साक्ष्य - तथ्यों के संबंध में अन्वेषण में दिए गए दोनों कथन समिल्लित है।

7. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की उद्देशिका के अनुसार, इस अधिनियम का प्रयोजन है
(a) साक्ष्य विधि को उपलब्ध, परिभाषित एवं संशोधित करना
(b) साक्ष्य विधि को उपलब्ध, व समेकन करना

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

(c) साक्ष्य विधि को परिभाषित एवं संशोधित करना
(d) साक्ष्य विधि को समेकन, परिभाषित एवं संशोधित करना

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान :-
1. 1872 का अधिनियम संख्या 1।
2. लागू - 1 सितंबर,1872।
स्पष्टीकरण- साक्ष्य की विधि का 'समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है ।

8. वे तथ्य जिन्हें किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है तथा दूसरे द्वारा इन्कार या मना किया जाता है, कहलाते हैं
(a) सकारात्मक तथ्य
(b) नकारात्मक तथ्य
(c) सुसंगत तथ्य
(d) विवाद्यक तथ्य

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 3 (धारा **2 BSA) L/w 5(**धारा **3 BSA) IEA, आदेश 14 CPC।**
स्पष्टीकरण- धारा 3 "विवाद्यक तथ्य" शब्द को परिभाषित करता है। ये वे तथ्य हैं, जो एक पक्ष द्वारा अभिकथित किए जाते हैं और सिविल मामले में अभिवचन में दूसरे द्वारा अस्वीकार किए जाते हैं या अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित किए जाते हैं और एक आपराधिक मामले में अभियुक्त द्वारा अस्वीकार किए जाते हैं। इसे प्रधान तथ्य या "फैक्टम प्रोबंडम" कहा जाता है।

9. विधि की अखण्डनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त किये गये हैं ?
(a) उपधारणा कर सकेगा में
(b) उपधारणा करेगा में
(c) निश्चयात्मक सबूत में
(d) उपरोक्त सभी में

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 4 L/w 41(धारा 35 BSA)**, 112**(धारा 116 BSA)**, 113** (Delete in BSA) **IEA ।**
स्पष्टीकरण- धारा 4 IEA के अनुसार, जब साक्ष्य अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे का निश्चयात्मक सबूत घोषित किया जाता है, तो न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और यह (न्यायालय) उस तथ्य को खंडन करने या अस्वीकार करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के साक्ष्य की अनुमति नहीं देगा। IEA की धारा 41, 112 और 113 "निश्चयात्मक सबूत या विधि की अखंडनिय उपधारणा" से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती है।

10. "एक तथ्य साबित किया जाना है" का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है ?
(a) क्वीड प्रोबन्डम
(b) मोडस प्रोबन्डी
(c) (a) और (b) दोनों
(d) उपरोक्त में कोई नहीं

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 3(धारा **2 BSA) IEA।**
स्पष्टीकरण- क्युड प्रोबेनडम का अर्थ है सिद्ध की जाने वाली बातें।

11. निम्नलिखित में से किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ है "एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष नींव के रूप में है" ?
(a) प्रत्यक्ष साक्ष्य
(b) परिस्थितिजन्य साक्ष्य
(c) (a) और (b) दोनों
(d) उपरोक्त कोई नहीं

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 3(धारा **3 BNSS) IEA।**
स्पष्टीकरण-परिस्थितिजन्य साक्ष्य कुछ तथ्यों से निष्कर्ष निकालकर एक अभियुक्त के अपराध को साबित करने की अप्रत्यक्ष विधि को संदर्भित करता है जो कि मामले में तथ्यों से निकटता से संबंधित हैं। हालाँकि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के लिए आवश्यक सबूत का स्तर काफी ऊँचा है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोष सिद्ध करते समय न्यायालय आमतौर पर सतर्क रहते हैं।

12. इलेक्ट्रोनिक अभिलेख हैं :
(a) मौखिक साक्ष्य
(b) कोई साक्ष्य नहीं
(c) दस्तावेजी साक्ष्य
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान :-
1. धारा 61(धारा 56 BSA) - दस्तावेजी साक्ष्य प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किये जायेंगे।
2. धारा 62(धारा 57 BSA) - प्राथमिक साक्ष्य।
3. धारा 63 (धारा 58 BSA) - द्वितीयक साक्ष्य।
4. धारा 65(धारा 60 BSA) - परिस्थितियां जब द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा।
5. धारा 22(धारा 20 BSA)-दस्तावेजी साक्ष्य की अंतर्वस्तु की स्वीकृति।
6. धारा 91(धारा 94 BSA)-दस्तावेजी साक्ष्य दस्तावेज द्वारा ही साबित।
स्पष्टीकरण - धारा 3**(धारा 2 BSA)**- साक्ष्य - दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य।
दस्तावेजी साक्ष्य - न्यायलय के निरीक्षण के लिए पेश किये गये दस्तावेज जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी है।

13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में कितनी धारायें और अध्याय है ?
(a) 160 धारायें और 10 अध्याय
(b) 180 धारायें और 14 अध्याय
(c) 172 धारायें और 16 अध्याय
(d) 167 धारायें और 11 अध्याय

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान :-
1. भाग प्रथम - अध्याय 1-2 (धारा 1-55) ।
2. भाग द्वितीय - अध्याय 3-6 (धारा 56-100)।
3. भाग तृतीय - अध्याय 7-11 (धारा 101-167) ।
स्पष्टीकरण - साक्ष्य अधिनियम**, 1872** को **3** भाग में व **11** अध्यायों तथा **167** धाराओं में विभक्त किया गया हैं।

14. निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3(Sec 2 BSA) के अन्तर्गत परिभाषित नहीं है?
(a) न्यायालय (b) संस्वीकृति
(c) साक्ष्य (d) दस्तावेज

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान :-
1. धारा 24-30(धारा 22-24 BSA)- संस्वीकृति के संबंध में प्रावधान **(**साक्ष्य अधिनियम**, 1872)**।
2. धारा 164(धारा 183 BNSS)- मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित करना(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)।
3. धारा 463(धारा 509 BNSS)- संस्वीकृति में गलती या लोप का प्रभाव **CrPC**।
स्पष्टीकरण - धारा 3 - के अंतर्गत न्यायलय, साक्ष्य व दस्तावेज को परिभाषित किया गया है, जबकी संस्वीकृति को साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है
(a) शपथ पत्रों में
(b) न्यायिक कार्यवाहियों में
(c) माध्यस्थम कार्यवाहियों में
(d) ये सभी

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा 23(धारा 21 BSA) -** आपराधिक कार्यवाही पर लागू नहीं।
2. **धारा 105(धारा 108 BSA)-** सिविल कार्यवाही पर लागू नहीं।

स्पष्टीकरण - धारा 1**(धारा 1 BSA)**- साक्ष्य अधिनियम लागू होता है- न्यायलय के समक्ष की सभी न्यायिक कार्यवहियो पर लागू होता है जिसके अंतर्गत सेना न्यायलय भी आते है।
सिवाय - मध्यस्थ मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों पर, शपथपत्र पर तथा सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम पर।

16. साक्ष्य विधि है :
(a) लेक्स टेलीनियस
(b) लेक्स फोरी
(c) लेक्स लोसाई
(d) लेक्स साइट्स

Ans [b]

स्पष्टीकरण:- साक्ष्य का नियम लेक्स फॉरी है। इसका मतलब है कि साक्ष्य उन मामलों में से एक है जो उस देश की विधि द्वारा शासित होते हैं जिसमें कार्यवाही होती है (लेक्स फॉरी)।

17. निम्नलिखित में से कौन से शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में परिभाषित नहीं किया गया है ?
(a) प्रमाणित
(b) अप्रमाणित
(c) प्रमाणित नहीं हुआ
(d) शून्य

Ans [d]

लिंकिंग प्रावधान:-
1. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2(g) – शून्य करार
2. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 24 – यदि प्रतिफल और उद्देश्य विधिविरुद्ध हैं तो करार शून्य।
3. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25–बिना प्रतिफल के करार शून्य है।

स्पष्टीकरण:- विधि में शून्य का अर्थ है जिसका कोई विधिक प्रभाव न हो। कोई कार्रवाई, दस्तावेज़, या संव्यवहार जो शून्य है, उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है।

18. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 4 के अन्तर्गत कौन परिभाषित नहीं है ?
(a) निश्चायक सबूत
(b) उपधारणा करेगा
(c) उपधारणा कर सकेगा
(d) परिस्थितिजन्य साक्ष्य

Ans [d]

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 160 (**धारा** 163 BSA)– मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए।
स्पष्टीकरण:- साक्ष्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य हो सकता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य किसी तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जैसे किसी प्रत्यक्षदर्शी की गवाही। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में कुछ तथ्यों के अस्तित्व की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों की एक श्रृंखला होती है।

19. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में परिभाषित 'न्यायालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं ?
(a) सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट एवं अन्य सभी जो वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिये प्राधिकृत हैं।
(b) सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट एवं मध्यस्थ
(c) केवल न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट
(d) न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट एवं अधिवक्ता

Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान:- IPC की धारा 20 (Sec 2(5) BNS) – न्यायालय।
स्पष्टीकरण: - धारा 3 (**धारा** 2 BSA) – न्यायालय" में सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट शामिल हैं, और मध्यस्थों को छोड़कर विधिक रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत सभी व्यक्ति शामिल हैं।

20. एक अनपढ़ दिहाड़ी मजदूर प्रत्येक दिन अपने घर की दीवार पर एक निशान बनाता है जिससे वह अपनी प्रतिदिन की दिहाड़ी का हिसाब रख सके। ये निशान साक्ष्य हैं :
(a) दस्तावेजी साक्ष्य
(b) अनुश्रुत साक्ष्य
(c) मौखिक साक्ष्य
(d) परिस्थितिजन्य साक्ष्य

Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान:-
1. धारा 34 **(धारा 28 BSA)**– खातों की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ जब सुसंगत हों।
2. धारा 114 (f) **(धारा 119 BSA)** – न्यायालय यह मान सकता है कि व्यापार की सामान्य कार्यप्रणाली का पालन किया गया है।
3. धारा 16 **(धारा 14 BSA)**–व्यवसाय की कार्यप्रणाली का अस्तित्व जब सुसंगत हों।
4. धारा 3 **(धारा 2 BSA)**– दस्तावेज़

स्पष्टीकरण: - धारा 3 दस्तावेज़ के अनुसार "का अर्थ किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से या उनमें से एक से अधिक माध्यमों से व्यक्त या वर्णित कोई भी मामला है, जिसका उपयोग करने का आशय है, या जिसका उपयोग, उद्देश्य के लिए उस मामले को अभिलिखित करने के लिए किया जा सकता है। एक अशिक्षित मजदूर द्वारा अपने घर की दीवार पर दैनिक मजदूरी की गणना करने के लिए दैनिक निशान को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है क्योंकि वे निशान व्यवसाय के दौरान बनाए गए हैं और वे सुसंगत हैं।

21. साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है?
(a) विवेक के साधारण नियम
(b) साक्ष्य के विधिक नियम
(c) तर्क के नियम
(d) उपर्युक्त सभी

Ans. [b]

स्पष्टीकरण:- साक्ष्य का कानून केवल साक्ष्य के कानूनी नियमों से संबंधित है ।

22. निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत "दस्तावेज" शब्द के अर्थ के अन्तर्गत नहीं आता है?
(a) लेख
(b) मानचित्र
(c) टेलीफोन वार्ता
(d) फोटोचित्रित शब्द

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा 3, IEA (धारा 2 BSA) -** निर्वचन खण्ड।
2. **धारा 29, IPC [धारा 2(8) BNS] -** दस्तावेज़

स्पष्टीकरण - "दस्तावेज़" - "दस्तावेज़" का अर्थ किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से या उनमें से एक से अधिक साधनों

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
(IEA, 1872)

मुख्य परीक्षा प्रश्न – हल

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

Chapter - I
Definitions

1. निम्न में अंतर बताएं :

तथ्य की उपधारणाएँ और विधि की उपधारणाएँ

[MPSC CJ 2022]

Ans.- तथ्य की उपधारणा:

1. **परिभाषा:** मामले की परिस्थितियों से निकाले गए प्राकृतिक निष्कर्षों पर आधारित।
2. **प्रकृति**: न्यायालय द्वारा स्वीकार या अस्वीकार करना विवेकाधीन है।
3. **उदाहरण:** चोरी की गई संपत्ति के कब्जे से अपराध की उपधारणा, लापता होने के सात साल बाद मृत्यु की उपधारणा (धारा 108) (111 BSA)।
4. **खंडनीय:** हमेशा खंडनीय।
5. **स्रोत:** मानवीय अनुभव और सामान्य ज्ञान से व्युत्पन्न।
6. **लचीलापन:** मामले के तथ्यों और न्यायिक तर्क के आधार पर भिन्न हो सकता है।

विधि की उपधारणा:

1. **परिभाषा:** विधिक प्रावधानों और क़ानूनों द्वारा स्थापित।
2. **प्रकृति:** अनिवार्य जब तक कि साक्ष्य द्वारा खंडन न किया जाए।
3. **उदाहरण:** वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे की धर्मजता की उपधारणा (धारा 112) (116 BSA), प्रमाणित प्रतिलिपि के उचित निष्पादन की उपधारणा (धारा 79) (78 BSA)।
4. **खंडनीय या अखंडनीय:** खंडनीय हो सकता है (जैसे, धारा 114) (119 BSA) या अखंडनीय (निश्चायक सबूत, जैसे, धारा 41) (35 BSA)।
5. **स्रोत:** क़ानून और विधिक सिद्धांतों में संहिताबद्ध।
6. **लचीलापन**: निश्चित; वैधानिक प्रावधानों का पालन करता है।

2. विवाद्यक तथ्य पर टिप्पणी लिखें।

[BJS 2018]

Or

विवाद्यक तथ्य क्या है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।

[RJS 1984, UP PCS(J) 2000, 2012, M.P. CJ 2003]

Ans.- विवाद्यक तथ्य:

1. **परिभाषा:**
   भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (2 BSA) की धारा 3 के अनुसार, "विवाद्यक तथ्य" उन तथ्यों को संदर्भित करता है, जो मूल विधि के तहत, किसी मामले में दावा किए गए या अस्वीकार किए गए किसी भी विधिक अधिकार या दायित्व को स्थापित करने या खंडन करने के लिए आवश्यक हैं।
2. **विशेषताएँ:**
   तात्विक तथ्य: यह विवादित मामले से सीधे संबंधित तथ्य है।
   निर्धारण: इसका सबूत या खंडन सीधे मामले के परिणाम को प्रभावित करता है।
   अधिकारों या दायित्वों से संबंध: इसमें एक पक्ष द्वारा दावा किए गए और दूसरे द्वारा अस्वीकार किए गए विधिक अधिकार या दायित्व शामिल हैं।
3. **उदाहरण:**
   चोरी के मामले में, अभियुक्त ने संपत्ति को बेईमानी से लिया या नहीं, यह विवाद्यक तथ्य है।
   संविदा विवाद में, संविदा का उल्लंघन किया गया या नहीं, यह विवाद्यक तथ्य है।
4. **सुसंगत तथ्यों से अंतर:**
   विवाद्यक तथ्य विवाद का केंद्रीय बिंदु है।
   सुसंगत तथ्य वे होते हैं जो किसी विवाद्यक तथ्य को साबित करने या उसे गलत साबित करने में मदद करते हैं।
5. **विचारणों में भूमिका:**
   पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों के दायरे का मार्गदर्शन करता है।
   विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए न्यायालय द्वारा विवाद्यक को विरचित करने का निर्देश देता है।

3. "विवाद्यक तथ्य" और "सुसंगत तथ्य" की व्याख्या और वर्णन करें।

[HJS 2001, 2006, 2015]

Or

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

बाद में तस्वीरों या संदिग्धों की परेड से ऐसा कर सकता है। TIP आरोपी की पहचान स्थापित करने में मदद करता है, खासकर जब प्रत्यक्षदर्शी की पहचान पर सवाल उठता है।

2. **पुष्टि करने वाला साक्ष्य:** जबकि TIP अपने आप में निर्णायक नहीं है, यह साक्षी द्वारा आरोपी की पहचान की पुष्टि करने में पुष्टि करने वाला हो सकता है। यदि कोई साक्षी परेड में आरोपी की पहचान करता है, तो यह अपराध में आरोपी की संलिप्तता का प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान करता है। हालांकि, पहचान की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसे अन्य साक्ष्यों के साथ पुष्टि की जानी चाहिए।
3. **स्वतंत्र मूल्य:** TIP का इस अर्थ में कोई स्वतंत्र साक्ष्य मूल्य नहीं है कि यह सीधे अपराध के होने को साबित नहीं करता है। इसका महत्व साक्षी की पहचान को प्रदान की जाने वाली विश्वसनीयता में निहित है। TIP झूठी पहचान के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पहचान सुझाव या कोचिंग का परिणाम नहीं है।
4. **विधिक महत्व:** TIP की विश्वसनीयता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे परेड की निष्पक्षता (यह सुनिश्चित करना कि संदिग्ध को हाइलाइट न किया जाए या अधिक ध्यान देने योग्य न बनाया जाए), अपराध और पहचान के बीच का समय अंतराल, और साक्षी द्वारा पहचान की स्थिरता। यदि TIP निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जाता है, तो यह न्यायालय में महत्व रख सकता है, लेकिन यह दोषसिद्धि के लिए एकमात्र साक्ष्य के रूप में अकेले नहीं खड़ा हो सकता है।

28. प्रश्न यह है कि क्या 'A' ने 'B' को लूटा। ये तथ्य कि 'B' के लूट जाने के पश्चात 'C' ने 'A' की उपस्थिति में कहा ""B' को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है," और यह कि उसके तुरंत पश्चात 'A' भाग गया। कारण देते हुए सुसंगता निर्णीत कीजिए।
[UP PCS(J) 2021]

Ans.- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत, A की उपस्थिति में C द्वारा दिया गया कथन – "पुलिस 'B' को लूटने वाले व्यक्ति की तलाश करने आ रही है" – धारा 8 (6 BSA) (आरोपी के आचरण से संबंधित) और संभावित रूप से धारा 6 (4 BSA) (रिस जेस्टे) के तहत सुसंगत और स्वीकार्य है, क्योंकि परिस्थितियाँ बताती हैं कि कथित लूट के बाद A के आचरण को स्थापित करने के लिए यह कथन सुसंगत हो सकता है।

<u>धारा 8 (आरोपी का आचरण) (6 BSA) के तहत सुसंगतता:</u>

साक्ष्य अधिनियम (6 BSA) की धारा 8 के अनुसार अभियुक्त के आचरण का साक्ष्य सुसंगत हो सकता है यदि यह दोषी मन या अपराध की चेतना को इंगित करता है। इस मामले में, यह तथ्य कि C के कथन के तुरंत बाद A भाग गया, अपराध की चेतना का सुझाव देता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि A को लगा कि वे लूट में शामिल हो सकते हैं, इसलिए जब C ने उल्लेख किया कि पुलिस लुटेरे की तलाश करने आ रही है, तो भागने का प्रयास किया। यह व्यवहार दोषी ज्ञान का संकेत है और इसलिए यह इस विवादक तथ्य के लिए सुसंगत है कि क्या A ने लूट की है।

<u>धारा 6 (रेस जेस्टे) के तहत सुसंगतता:</u>

धारा 6 (4 BSA) उन तथ्यों को सुसंगत बनाती है जो एक ही संव्यवहार का हिस्सा हैं। C द्वारा दिया गया कथन लूट के संदर्भ से निकटता से जुड़ा हुआ है और लूट के कृत्य के तुरंत बाद दिया गया है। कथन के जवाब में A का भागना उसी संव्यवहार का हिस्सा माना जा सकता है, इस प्रकार अपराध में A की भागीदारी निर्धारित करने में इसकी सुसंगतता को मजबूत करता है।

निष्कर्ष: C द्वारा दिया गया कथन और इसे सुनने के तुरंत बाद A का आचरण (भागना) सुसंगत है क्योंकि यह A की अपराध की चेतना को इंगित कर सकता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA की धारा 6 और 4) की धारा 8 और 6 के तहत स्वीकार्य है। इस साक्ष्य का उपयोग लूट में A की भागीदारी का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है, हालांकि इसे मामले में अन्य साक्ष्यों के साथ तौला जाना चाहिए।

29. बताएं कि क्या निम्नलिखित मामलों में साबित करने के लिए मांगे गए तथ्य सुसंगत हैं।

(i) 'क' पर 'ख' को मारने के आशय से गोली चलाने का आरोप है। 'क' के आशय को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करना चाहता है कि 'क' ने पहले एक 'ग' को गोली मारी थी।

Ans.- दिए गए मामले में, यह तथ्य कि क ने पहले ग को गोली मारी थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (BSA 2023) के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत सुसंगत है:

1. **धारा 8 (6 BSA)- हेतु, तैयारी और आचरण:**
   यह धारा अभियुक्त के आचरण से संबंधित साक्ष्य को स्वीकार करने की अनुमति देती है, जिसमें पिछले कार्य शामिल हैं जो हेतु या आशय को स्थापित करने में मदद करते हैं।
   यह तथ्य कि क ने पहले ग को गोली मारी थी, ख की कथित शूटिंग के समय क के हेतु या मन की स्थिति को दिखाने के लिए सुसंगत है। यदि क ने पहले किसी को गोली मारी थी, तो यह हिंसक व्यवहार के स्वरूप का सुझाव दे सकता है, जो इस दावे का समर्थन कर सकता है कि क का ख को मारने का आशय था।
2. **धारा 14 (12 BSA)- सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक तथ्य:**
   यह धारा उन तथ्यों को प्रस्तुत करने की अनुमति देती है जो सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करने या प्रस्तुत करने में मदद करते हैं।
   ग पर पहले गोली चलाने की घटना का इस्तेमाल ख से जुड़ी मौजूदा घटना के दौरान क की मनःस्थिति या आशय के बारे में सुसंगत तथ्य पेश करने के लिए किया जा सकता है। यह स्थापित करने में मदद कर सकता है कि क में हिंसा की प्रवृत्ति थी या ऐसा इतिहास था जो ख पर गोली चलाने की व्याख्या कर सकता है।

निष्कर्ष: यह तथ्य कि क ने पहले ग पर गोली चलाई थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA की धारा 6 और 12) की धारा 8 और धारा 14 के तहत सुसंगत है क्योंकि यह ख से जुड़े वर्तमान मामले में क के हेतु, आचरण और आशय को स्थापित करने में मदद कर सकता है। ऐसे साक्ष्य संकेत दे सकते हैं कि क में हिंसक प्रवृत्ति थी, जो ख को मारने के क के आशय को साबित करने के लिए सुसंगत हो सकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य की जांच की जानी चाहिए कि इसका इस्तेमाल असुसंगत चरित्र साक्ष्य पेश करके क को अनुचित रूप से पक्षपाती बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

(ii) 'क' पर बल्वा करने का विचारण किया जाता है और उसका भीड़ के आगे-आगे चलना साबित कर दिया जाता है; अभियोजन पक्ष यह साबित करना चाहता है कि भीड़ चिल्ला रही थी।

[UP PCS(J) 1992, 2003, HJS 1999]

Ans.- इस मामले में, यह तथ्य कि भीड़ चिल्ला रही थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के तहत सुसंगत है।

सुसंगत प्रावधान:

1. **धारा 8 (6 BSA) - अभियुक्त का आचरण:**
   यह धारा अपराध के संबंध में अभियुक्त और अन्य लोगों के आचरण के बारे में साक्ष्य की अनुमति देती है। यह तथ्य कि क भीड़ के मुखिया के रूप में मार्च कर रहा था, भीड़ के नेता के रूप में क के आचरण को स्थापित करने के लिए सुसंगत है।
   भीड़ का चिल्लाना भीड़ के आचरण के हिस्से के रूप में भी सुसंगत हो सकता है, जो दंगे की तीव्रता और प्रकृति को प्रदर्शित करता है।
2. **धारा 7 (5 BSA) - तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों का अवसर, कारण या प्रभाव हैं:**
   चिल्लाना एक ऐसे कार्य के रूप में सुसंगत हो सकता है जो अपराध के किये जाने के साथ होता है या उसे प्रभावित करता है। यह तथ्य कि दंगा करते समय भीड़ चिल्ला रही थी, यह साबित करने में मदद कर सकता है कि भीड़ विधिविरुद्ध गतिविधि में लिप्त थी और यह दिखाने में योगदान देता है कि नेता के रूप में क दंगा को बढ़ावा देने और संगठित करने में सक्रिय रूप से शामिल था।
3. **धारा 11 (9 BSA) - सुसंगत तथ्य:**
   यह धारा सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक तथ्यों को स्वीकार करने की अनुमति देती है। चिल्लाना घटना का एक हिस्सा माना जा सकता है जो दंगा के तरीके और उसमें क की भूमिका को प्रस्तुत करता है या स्पष्ट करता है। यह संदर्भ प्रदान करता है और भीड़ की गतिविधियों की प्रकृति को स्थापित कर सकता है।

निष्कर्ष:

यह तथ्य कि भीड़ चिल्ला रही थी, दंगा करने के आरोप के लिए सुसंगत है, क्योंकि यह भीड़ के आचरण और इसका नेतृत्व करने में क की सक्रिय भूमिका को स्थापित करने में मदद कर सकता है। चिल्लाना उपद्रव की प्रकृति और तीव्रता को दर्शाता है, जो दंगा करने के आरोप को साबित करने में महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8, 7 और 11 के तहत स्वीकार्य और सुसंगत है।

Sample Preview

Paperathon© Booklet
is available at
www.LinkingLaws.com >> Linking Publication

Unique Features
1. Sections Switching Table
2. Subject wise Division
3. Cut-Off (Result) Analysis
4. Chapter Wise Bifurcation
5. State Wise PYQ Coverage
6. Subject Weightage Analysis
7. Linked Provision & Explanation
8. Diglot Edition

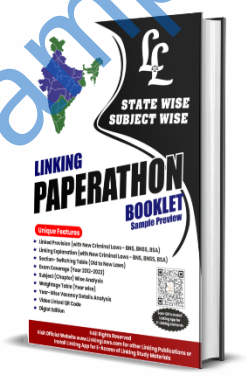

Paperathon Booklet is smart analysis of all questions covered in previous papers of judiciary exam

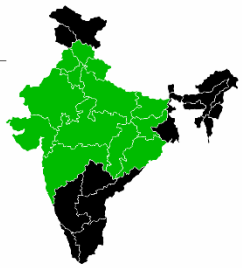

Paperathon Covered States

Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at Linking App.

Linking Bare Act©
is available at
www.LinkingLaws.com >> Linking Publication

Available Bare Acts
1. BNS 2023
2. BNSS 2023
3. BSA 2023
4. CPC 1908
5. Local Laws
6. Family Laws
7. Constitution
8. Civil Minor Laws
9. Criminal Minor Laws
10. Criminal Manual Major Laws
(BNS, BNSS, BSA)

Diglot Edition

Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

QR for Buy or visit
www.LinkingLaws.com

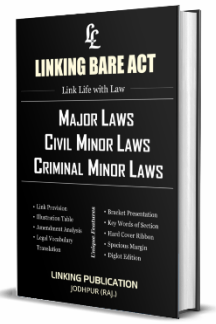

E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at Linking App.

Click Here to Buy Linking Publications

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
(IEA, 1872)

साक्षात्कार प्रश्न – हल

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (IEA, 1872)

1. साक्ष्य अधिनियम के तीन मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

Ans. (1) साक्ष्य हमेशा विवादित तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए।
(2) प्रत्येक मामले में, सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(3) संपुष्ट साक्ष्य अस्वीकार्य है, इसलिए इसे हमेशा बाहर रखा जाना चाहिए।

2. क्या साक्ष्य अधिनियम लेक्स-फोरी या लेक्स-लोकी है?

Ans. सर, लेक्स फॉरी।

3. लेक्स फोरी का क्या मतलब है?

Ans. कार्रवाई के स्थान (देश) की विधि।

4. सुसंगतता और स्वीकार्यता के बीच अंतर क्या है?

Ans. सुसंगत तथ्य आवश्यक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं लेकिन स्वीकार्य तथ्य सुसंगत हैं। सुसंगत का मतलब है कि जो तार्किक प्रमाण है। स्वीकार्यता तर्क पर है लेकिन विधि और सख्त नियमों पर। जो तथ्य सुसंगत हैं वे आवश्यक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं जबकि जो तथ्य स्वीकार्य हैं वे आवश्यक रूप से सुसंगत हैं।

5. उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए।

Ans. जिस प्रकार धारा 122 के अंतर्गत आने के कारण पति-पत्नी के बीच संसूचना अस्वीकार्य है, इस तथ्य के बावजूद कि मुवक्किल द्वारा नौकरी के दौरान वकील को दी गई जानकारी विवादित मामलों के लिए सुसंगत नहीं है (धारा 126)।(132 BSA)

6. अन्वीक्षा रिपोर्ट (पंचनामा) क्या है?

Ans. अन्वेषण के दौरान पुलिस साक्षीयों (दो या दो से अधिक व्यक्तियों) को घटनास्थल पर मृत व्यक्तियों या घायल व्यक्तियों को देखने के लिए बुलाती है, उन्हें पंच कहा जाता है। पंचनामा इन साक्षीयों ने जो कुछ भी देखा था उसका अभिलेख है। मृत्यु की अन्वीक्षा रिपोर्ट में कथन ही साक्ष्य नहीं है। (सीआरपीसी की धारा 174)।

7. टेप-रिकॉर्डिंग किस प्रकार का साक्ष्य है?

Ans. सर, दस्तावेजी साक्ष्य।

8. निश्चायक सबूत क्या है?

Ans. जहां इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, न्यायालय उस तथ्य से साबित होने पर दूसरे को साबित मान लेगी और इसे अस्वीकार करने के उद्देश्य से साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देगी। (धारा 4)

9. रेस जेस्टै क्या है?

Ans. धारा 6 (4 BSA) में अंतर्निहित सिद्धांत, को कभी-कभी रेस गैस्टे कहा जाता है। इस मुहावरे का मतलब केवल एक संव्यवहार की बात थी। रेस जेस्टै को उन परिस्थितियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विशेष मुकदमेबाजी कृत्य की स्वत: और अधोहस्ताक्षरी घटना हैं और जो इस तरह के कृत्य के उदाहरण के रूप में स्वीकार्य हैं। एक ही संव्यवहार से संबंधित तथ्य रेस जेस्टै हैं। (धारा 6)

10. पहचान परेड कौन आयोजित करता है?

Ans. आम तौर पर, मजिस्ट्रेट, कोई भी व्यक्ति, पुलिस या मजिस्ट्रेट (यूपी राज्य में)।

11. पहचान ज्ञापन क्या है?

Ans. पहचान ज्ञापन उस कथन के अभिलेख के अलावा और कुछ नहीं है जो गवाह ने पहचान करने वाले व्यक्ति के सामने दिया था।

12. पहचान परेड का साक्ष्यिक मूल्य क्या है?

Ans. पहचाने गए साक्ष्य ठोस सबूत नहीं हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी साक्षी द्वारा न्यायालय में दिए गए कथन की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है। (धारा 9) (7 BSA)

13. अन्यत्र का क्या मतलब है?

Ans. आरोपी घटना स्थल से दूर है। (धारा 11) (9 BSA)

14. एक स्वीकृति क्या है?

Ans. एक स्वीकृति एक मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कथन है जो किसी भी तथ्य या सुसंगत तथ्य के रूप में एक अनुमान को इंगित करता है। (धारा 17) (15 BSA)

15. स्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य क्या है?

Ans. सर, स्वीकृति एक ठोस सबूत है, हालांकि वे मामले का निश्चायक सबूत नहीं हैं। स्वीकृति विबंधन के रूप में कार्य कर सकती है।

16. क्या स्वीकृति स्वीकृत मामले का निश्चायक सबूत है?

Ans. नहीं सर। स्वीकृति विबंधन के रूप में कार्य कर सकती है।

17. एक संस्वीकृति क्या है?

Ans. सर, अभियुक्तों द्वारा अपराध के संबंध में स्वीकृति को संस्वीकृति कहा जाता है। यह अधिनियम में परिभाषित नहीं है।

18. संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य क्या है?

Ans. अगर संस्वीकृति सच और स्वेच्छा से है, तो यह ठोस सबूत है और इसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। (सुप्रीम कोर्ट)

19. स्वीकृति और संस्वीकृति में क्या अंतर है?

Ans. (i) स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है जबकि संस्वीकृति निश्चायक सबूत है। इसके आधार पर आरोपी को सजा हो सकती है।
(ii) आम तौर पर सिविल मामलों में स्वीकृति दी जाती है, जबकि आपराधिक मामलों में संस्वीकृति की जाती है।

20. न्यायिक संस्वीकृति और न्यायेतर संस्वीकृति के बीच अंतर क्या है?

Ans. न्यायिक संस्वीकृति वे हैं जो एक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही के दौरान की जाती हैं। न्यायिक संस्वीकृति के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। न्यायेतर संस्वीकृति वह है जो अभियुक्त द्वारा न्यायालय के अलावा कहीं और की जाती है। यह एक बहुत ही कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, इसकी स्वीकार्यता उस व्यक्ति के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है जिसके द्वारा इस तरह की संस्वीकृति की गई है।

21. पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्वीकृति अस्वीकार्य क्यों है?

Ans. क्योंकि इसे स्वैच्छिक नहीं माना जाता है।

22. क्या सिविल मामलों में पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्वीकृति स्वीकार्य होगी?

Ans. हाँ सर, इसे स्वीकृति के रूप में सिद्ध किया जा सकता है।

23. बताया जाता है कि पुलिस आरोपियों के साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है। क्या यह सच है?

Ans. आरोपी के परीक्षण के दौरान पुलिस आरोपी को शारीरिक प्रताड़ना देती है, इसे आम बोलचाल में थर्ड डिग्री कहते हैं।

24. पुलिस अभिरक्षा का मतलब क्या होता है?

Ans. पुलिस अभिरक्षा का मतलब पुलिस नियंत्रण है, भले ही अभिरक्षा अवैध हो।

25. पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति कब सुसंगत है?

Ans. सर, जब एक मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में दी गई हो

26. मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति का क्या अर्थ है?

Ans. मजिस्ट्रेट को उस कमरे में उपस्थित होना चाहिए जहाँ अभियुक्त संस्वीकृति कर रहा है।

27. धारा 27 (23 PROVISO BSA)में क्या प्रावधान है?

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

Scan QR

for

Landmark Judgments

(Year wise & Subject wise)

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

ALL-IN-ONE PAPERATHON©

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams.

Available in English and Hindi Edition

Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at **Linking App.**

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

Linking Paperathon Booklets

Unique Features of Paperathon Booklet

- Subject-wise presentation with weightage analysis table
- Covered Last Previous Years Papers
- Linked Provision
- Diglot Q&A (English + Hindi)
- Explanation (English + Hindi)
- QR Code for Paper Solution Free Videos
- QR Code for Free Videos Lectures for All Judiciary & Law Exams

Linking Charts

Linking Bare Acts

Scan this QR Code
Place Order

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications